



F.NO. II(3)10/Estt/Insp to Supdt/DOO/2023 - 175

Dated 31 Jan, 2025

Establishment Order No 06/2025

As per the findings of the DPC for the year 2025 for promotion from the post of Inspector to the post of Superintendent/DOO held in the office of Narcotics Commissioner, Gwalior on 10.01.2025, the following Inspector is hereby promoted to the post of Superintendent/DOO (Group 'B' Gazetted) in Level-8 of pay matrix Rs. 47,600 to 1,51,100 on in-situ basis with effect from the date they assume charge of the higher post.

S. No.	Name of the officer	Against the vacancy
1.	Shri Rohit Raj (SC)	Fit against SC vacancy

1. The above official should note that:

(a) If an officer does not accept the offer of promotion within 10 days of issuance of order and fail to report for duty at his respective place, it will be considered as refusal of promotion and he shall be debarred for promotion to the grade of Superintendent/DOO, for a period of one year.

(b) Their seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by the above mentioned DPC for year 2025.

(c) They are required to submit within one month of promotion, their option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, where the official has been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, his pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

2. Promotion of the above officials will be subject to outcome of "OA No. 1297/2024 R. K. Choudhary Vs Revenue" filed before Hon'ble CAT bench at Jabalpur and "O.A. No. 2651/2024 H. K. Dhanvani and ors. Vs Union of India & ors." Filed before Hon'ble CAT, PB, New Delhi.

This issues with the approval of Narcotics Commissioner.

-sd-
(Brijendra Chowdhary)
Deputy Narcotics Commissioner

Shri

.....

.....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The CCF, Govt. Opium and Alkaloid Factories, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to the Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PS to DNC, PA to ANC(Accounts/Admin), CBN, Gwalior
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. Superintendent, Opium/ Vig/ Prev/ Tech/ Prec./Narcotics/Adm./Accounts & Pay Bill/ Online/ Hindi, Hqrs, Gwalior.
8. Guard File/Website.

Jee
31.01.2025
(Brijendra Chowdhary)
Deputy Narcotics Commissioner



एफ.सं.11(3)10/स्था/निरी.से अधी./डीओओ/2023

दिनांक 1 जनवरी, 2025

स्थापना आदेश संख्या 06/2025

निरीक्षक के पद से अधीक्षक/डी00 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 10.01.2025 को नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर के कार्यालय में आयोजित वर्ष 2025 की डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित निरीक्षक को वेतन मैट्रिक्स रु. 47,600 से 1, 51,100 के लेवल-8 में अधीक्षक/डी00 (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर इन-सीटू आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जो उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

क्र	अधिकारी का नाम	रिक्ति के विरुद्ध
1.	श्री रोहित राज (एससी)	एससी रिक्ति के विरुद्ध उपयुक्त

1. उपर्युक्त अधिकारी ध्यान दें कि:

(क) यदि कोई अधिकारी आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और अपने संबंधित स्थान पर इयूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उसे एक वर्ष की अवधि के लिए अधीक्षक/डी00 के ग्रेड में पदोन्नति के लिए रोक दिया जाएगा।

(ख) उनकी वरिष्ठता वर्ष 2025 के लिए उपर्युक्त डीपीसी द्वारा तैयार पैनल के आधार पर गणना की जाएगी।

(ग) उन्हें पदोन्नति के एक महीने के भीतर, DoP&T के दिनांक 27 जुलाई 2017 के O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, जहां अधिकारी को एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, उसका वेतन डीओपीटी के ओ.एम. के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधान के अनुसार तय किया जाएगा। सं.35034/1/97-स्था.(डी) दिनांक 9.8.1999 और एमएसीपी के लिए क्रमशः डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं.35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19.5.2009 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति जबलपुर में माननीय कैट बेंच के समक्ष दायर "ओए सं. 1297/2024 आर. के. चौधरी बनाम राजस्व" और माननीय कैट, पीबी, नई दिल्ली के समक्ष दायर "ओ.ए. सं. 2651/2024 एच. के. धनवानी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य." के परिणाम के अधीन होगी।

यह नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(बृजेन्द्र चौधरी)

उप नारकोटिक्स आयुक्त

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. सीसीएफ, सरकारी अफ्रीम और अल्कलॉइड फैक्टरियाँ, नई दिल्ली।
2. उप. नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, गोवा, नीमच/गाजीपुर
4. नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, ग्वालियर के निजी सचिव।
5. पीएस से डीएनसी, पीए से एएनसी (अकाउंट्स/एडमिन), सीबीएन, ग्वालियर
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर
7. अधीक्षक, ओपियम/विग/प्रे/टेक/प्री./नारकोटिक्स/प्रशा./लेखा एवं वेतन बिल/ऑनलाइन/हिन्दी, मुख्यालय, ग्वालियर,
8. गार्ड फाइल/वेबसाइट।



(बृजेन्द्र चौधरी)

उप नारकोटिक्स आयुक्त